item 899 S9.10: 9487

TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 9487

55-426
85
-92342-4 1700

APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TO RURAL DEVELOPMENT

OP 80/2 69
input
1/2/81, ct
Rev 1/9/81 CB
7053670

Agreement Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDIA

Signed at New Delhi August 26, 1978

x-ii--
Rural development fx 1 d 1 f2
Com. & tech. info
fx 1 d 1 f2
Econ. asst. Amer. f2

NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89–497, approved July 8, 1966 (80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

". . . the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof."

For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Subscription Price: $110 per year; $27.50 additional for foreign mailing. Single copies vary in price. This issue $2.00.

INDIA

Application of Science and Technology to Rural Development

Agreement signed at New Delhi August 26, 1978;
Entered into force August 26, 1978.

A.I.D. Project Number: 386-0465

PROJECT

GRANT AGREEMENT

Between

THE PRESIDENT OF INDIA

and

THE UNITED STATES OF AMERICA

for

APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
TO RURAL DEVELOPMENT

Dated: August 26, 1978

TABLE OF CONTENTS

		Page	[Pages herein]
Article 1:	The Agreement	1	4
Article 2:	The Project	1	4
SECTION 2.1	Definition of Project	1	4
Article 3:	Financing	2	5
SECTION 3.1	The Grant	2	5
SECTION 3.2	Grantee Resources for the Project	2	5
SECTION 3.3	Project Assistance Completion Date	2	5
Article 4:	Conditions Precedent to Disbursement	3	6
SECTION 4.1	First Disbursement	3	6
SECTION 4.2	Notification	4	7
SECTION 4.3	Terminal Dates for Conditions Precedent	4	7
Article 5:	Special Covenants	4	7
SECTION 5.1	Project Evaluation	4	7
Article 6:	Procurement Source	5	8
SECTION 6.1	Foreign Exchange Costs	5	8
Aritcle 7:	Disbursements	6	9
SECTION 7.1	Disbursement for Foreign Exchange Costs	6	9
SECTION 7.2	Other Forms of Disbursement	6	9
SECTION 7.3	Rate of Exchange	7	10
Article 8:	Miscellaneous	7	10
SECTION 8.1	Communications	7	10
SECTION 8.2	Representatives	8	11
SECTION 8.3	Standard Provisions Annex[1]	8	11
SECTION 8.4	Language of Agreement	9	12
Annex 1:	Project Description	1	13

[1] Not printed herein. The annex is deposited in the archives of the Department of State where it is available for reference.

A.I.D. Project No. 386-0465

Project Grant Agreement

Dated: August 26, 1978

Between

The President of India ("Grantee")

And

The United States of America, acting through the Agency for International Development ("A.I.D.").

Article 1: The Agreement

The purpose of this Agreement is to set out the understandings of the parties named above ("Parties") with respect to the undertaking by the Grantee of the Project described below, and with respect to the financing of the Project by the Parties.

Article 2: The Project

SECTION 2.1. Definition of Project. The Project, which is further described in Annex 1, will consist of the financing of professional and technical services and equipment and materials for the carrying out of collaborative sub-projects which will apply science and technology to India's rural development efforts. Annex 1, attached, amplifies the above definition of the Project. Within the limits of the above definition of the Project, elements of the amplified description stated in Annex 1 may be changed by written agreement of the authorized representatives of the Parties named in Section 8.2, without formal amendment of this Agreement.

Article 3: Financing

SECTION 3.1. The Grant. To assist the Grantee to meet the costs of carrying out the Project, A.I.D., pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended,[1] agrees to grant the Grantee under the terms of this Agreement not to exceed Two Million United States ("U.S.") Dollars ($2,000,000)("Grant"). The Grant may be used only to finance foreign exchange costs, as defined in Section 6.1, of goods and services required for the Project.

SECTION 3.2. Grantee Resources for the Project

(a) The Grantee agrees to provide or cause to be provided for the Project all funds, in addition to the Grant, and all other resources required to carry out the Project effectively and in a timely manner.

(b) The resources provided or caused to be provided by Grantee for the Project will be not less than the equivalent of U.S. $500,000, including costs borne on an "in-kind" basis.

SECTION 3.3. Project Assistance Completion Date

(a) The "Project Assistance Cofnpletion Date" (PACD), which is September 30, 1981, or such other date as the Parties may agree to in writing, is the date by which the Parties estimate that all services financed under the Grant will have been performed and all goods financed under the Grant will have been furnished for the Project as contemplated in this Agreement.

[1] 75 Stat. 424; 22 U.S.C. § 2151 note.

(b) Except as A.I.D. may otherwise agree in writing, A.I.D. will not issue or approve documentation which would authorize disbursement of the Grant for services performed subsequent to the PACD or for goods furnished for the project, as contemplated in this Agreement, subsequent to the PACD.

(c) Requests for disbursement, accompanied by necessary supporting documentation prescribed in Project Implementation Letters are to be received by A.I.D. or any bank described in Section 7.1 no later than nine (9) months following the PACD, or such other period as A.I.D. agrees to in writing. After such period, A.I.D., giving notice in writing to the Grantee, may at any time or times reduce the amount of the Grant by all or any part thereof for which requests for disbursement, accompanied by necessary supporting documentation prescribed in Project Implementation Letters, were not received before the expiration of said period.

Article 4: Conditions Precedent to Disbursement

SECTION 4.1. First Disbursement. Prior to the first disbursement under the Grant, or to the issuance by A.I.D. of documentation pursuant to which disbursement will be made, the Grantee will, except as the Parties may otherwise agree in writing, furnish to A.I.D. in form and substance satisfactory to A.I.D.:

(a) An opinion of counsel acceptable to A.I.D. that this Agreement has been duly authorized and/or ratified by, and executed on behalf of, the Grantee, and that it constitutes a valid and legally binding obligation of the Grantee in accordance with all of its terms;

(b) A statement of the name of the person holding or acting in the office of the Grantee specified in Section 8.2., and of any additional representatives, together with a specimen signature of each person specified in such statement;

(c) Evidence of the establishment of a Government of India (GOI) Inter-Departmental Committee, its composition, and a statement of its procedures to perform the functions outlined in paragraph 4 of the Project Description, Annex 1.

SECTION 4.2. Notification. When A.I.D. has determined that the conditions precedent specified in Section 4.1 have been met, it will promptly notify the Grantee.

SECTION 4.3. Terminal Dates for Conditions Precedent. If all of the conditions specified in Section 4.1 have not been met within 90 days from the date of this Agreement, or such later date as A.I.D. may agree to in writing, A.I.D., at its option, may terminate this Agreement by written notice to Grantee.

Article 5: Special Covenants

SECTION 5.1. Project Evaluation. The Grantee agrees to establish an evaluation program satisfactory to the Parties as part

of the Project. Except as the Parties otherwise agree in writing, the program will include, during the implementation of the Project and at one point thereafter:

(a) evaluation of progress toward attainment of the objectives of the Project;

(b) identification and evaluation of problem areas or constraints which may inhibit such attainment;

(c) assessment of how such information may be used to help overcome such problems; and

(d) evaluation, to the degree feasible, of the overall development impact of the Project.

Article 6: Procurement Source

SECTION 6.1. Foreign Exchange Costs. Disbursements pursuant to Section 7.1 will be used exclusively to finance the costs of goods and services required for the Project having their source and origin in the United States (Code 000 of the A.I.D. Geographic Code Book as in effect at the time orders are placed or contracts entered into for such goods or services) ("Foreign Exchange Costs"), except as A.I.D. may otherwise agree in writing, and except as provided in the Project Grant Standard Provisions Annex, Section C.1(b) with respect to marine insurance.

Article 7: Disbursements

SECTION 7.1. Disbursement for Foreign Exchange Costs

(a) After satisfaction of conditions precedent, the Grantee may obtain disbursements of funds under the Grant for the Foreign Exchange Costs of goods or services required for the Project in accordance with the terms of this Agreement, by such of the following methods as may be mutually agreed upon:

(1) by submitting to A.I.D., with necessary supporting documentation as prescribed in Project Implementation Letters, (A) requests for reimbursement for such goods or services, or, (B) requests for A.I.D. to procure commodities or services in Grantee's behalf for the Project; or

(2) by requesting A.I.D. to issue Letters of Commitment for specified amounts (A) to one or more U.S. banks, satisfactory to A.I.D., committing A.I.D. to reimburse such bank or banks for payments made by them to contractors or suppliers, under Letters of Credit or otherwise, for such goods or services, or (B) directly to one or more contractors or suppliers, committing A.I.D. to pay such contractors or suppliers for such goods or services.

(b) Banking charges incurred by Grantee in connection with Letters of Commitment and Letters of Credit will be financed under the Grant unless Grantee instructs A.I.D. to the contrary.

SECTION 7.2. Other Forms of Disbursement. Disbursements of the Grant may also be made through such other means as the Parties may agree to in writing.

SECTION 7.3. Rate of Exchange. If funds provided under the Grant are introduced into India by A.I.D. or any public or private agency for purposes of carrying out obligations of A.I.D. hereunder, the Grantee will make such arrangements as may be necessary so that such funds may be converted into currency of India at the highest rate of exchange which, at the time the conversion is made, is not unlawful in India.

Article 8: Miscellaneous.

SECTION 8.1. Communications. Any notice, request, document or other communication submitted by either Party to the other under this Agreement will be in writing or by telegram or cable, and will be deemed duly given or sent when delivered to such party at the following addresses:

To the Grantee:

Mail Address: Secretary to the Government of India
Department of Economic Affairs
Ministry of Finance
New Delhi

Alternate Address for Cables: ECOFAIRS, NEW DELHI

To A.I.D.:

Mail Address: Mission Director
USAID
American Embassy, West Building
New Delhi

Alternate Address for cables: USAID, NEW DELHI

All such communications will be in English, unless the Parties otherwise agree in writing. Other addresses may be substituted for the above upon the giving of notice. The Grantee, in addition, will provide the USAID Mission with a copy of each communication sent to A.I.D.

SECTION 8.2. Representatives. For all purposes relevant to this Agreement, the Grantee will be represented by the individual holding or acting in the office of Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and A.I.D. will be represented by the individual holding or acting in the office of Mission Director, each of whom by written notice, may designate additional representatives for all purposes other than exercising the power under Section 2.1 to revise elements of the amplified description in Annex 1. The names of the representatives of the Grantee, with specimen signatures, will be provided to A.I.D., which may accept as duly authorized any instrument signed by such representatives in implementation of this Agreement, until receipt of written notice of revocation of their authority.

SECTION 8.3. Standard Provisions Annex. A "Project Grant Standard Provisions Annex" (Annex 2)[1] is attached to and forms part of this Agreement.

---

[1] See footnote 1, p. 3.

SECTION 8.4. Language of Agreement. This Agreement is prepared in both English and Hindi. In the event of ambiguity or conflict between the two versions, the English language version will be used for final interpretation.

IN WITNESS WHEREOF, the Grantee and the United States of America, each acting through its duly authorized representative have caused this Agreement to be signed in their names and delivered as of the day and year first above written.

THE PRESIDENT OF INDIA

By Manmohan Singh

Name: Manmohan Singh

Title: Secretary to the Government of India
Department of Economic Affairs
Ministry of Finance

THE UNITED STATES OF AMERICA

By Robert F. Goheen

Name: Robert F. Goheen

Title: Ambassador

A.I.D. Project No. 386-0465

Annex 1

Project Description

1. The project purpose is to increase Indo-U.S. collaboration in the application of science and technology to India's rural development effort. The project will support approved collaborative activities (sub-projects) falling under the general parameters and priority areas identified by the Indo/U.S. Joint Commission and its sub-commissions, and meeting the project criteria described in paragraph 3 below.

2. The Grant will finance U.S. dollar costs of sub-projects in accordance with their approved budgets. Such costs may include equipment and materials (including prototype hardware), professional services and consultancies, exchanges and study tours of personnel, the conduct of workshops and other approved sub-project costs. Local costs of the sub-projects will be met from Indian sources or collaborating U.S. agencies.

3. To be eligible for consideration for support under the Grant, sub-projects proposed by collaborating agencies will meet the following criteria:

a. The technology or activity concerned must have relevance to significant problems in rural areas and concern the application of science and technology (including social science) to such problems. Basic research in frontier and emerging areas cannot be considered.

Technologies and activities should be appropriate to the social and cultural context in which they are to be applied.

b. To the extent quantification is feasible, sub-projects should demonstrate a favorable cost/benefit ratio. Direct rather than indirect (or remote) benefits and costs should be emphasized in such calculations.

c. Sub-projects should have potential for providing near or medium term benefits to the target population.

d. Sub-projects will include measures for the dissemination, adoption, or field testing of the technologies concerned in order to test their appropriateness for wider implementation or delivery to rural areas.

e. Sub-projects must show reasonable potential for increasing the income and/or well-being of the rural poor.

4. Sub-projects proposed by collaborating agencies will be screened, selected, and approved by a GOI Inter-Departmental Committee chaired by the Department of Science and Technology, which is the central implementing agency for the project. The committee will be guided in its approvals by the agreed criteria outlined above, and by the priorities established by the Indo-U.S. Joint Commission and its Sub-commissions. The committee will provide technical and substantive approval of sub-projects.

5. The Department of Economic Affairs will provide GOI funding approval for all costs of the sub-projects. AID will concur in sub-project approvals by affirming in writing that sub-projects meet the established criteria and that costs to be charged to the Grant are eligible for financing under the terms and conditions of this Agreement. For these purposes, sub-project descriptions will include a detailed time-phased budget, breaking down cost estimates between local and foreign exchange costs, identifying those U.S. dollar costs to be charged to the Grant, and the sources of other funding requirements of the sub-project.

6. At least 25 percent of each sub-project will be financed from Indian sources, unless otherwise agreed by AID.

7. The Department of Science and Technology, as Implementing Agency for the project, will be the authorized representative for authorizing expenditures for sub-projects approved by the Inter-Departmental Committee and the Department of Economic Affairs. The Department of Science and Technology will also function as project secretariat responsible for the following:

a. Arrange annual project evaluations, as described in the following paragraph.

b. Serve as focal point within GOI for participating institutions and professionals.

55-426 O - 80 - 2

c. Monitor progess of sub-projects.

d. Serve as main contact for AID regarding grant activities.

e. Maintain accounts on expenditures, procurement, training, exchanges, etc.

f. Prepare activity reports for Joint Commission and sub-commissions.

g. Assist participating institutions and professionals, as needed, to expedite activities under sub-projects.

8. The project will be jointly evaluated annually, if possible shortly prior to the annual meeting of the Indo-U.S. Joint Commission, Representatives of the Department of Science and Technology, Department of Economic Affairs, AID, and the American Embassy Counselor for Scientific and Technological Affairs will participate in the evaluation, together with other agencies or individuals as may be invited by mutual agreement of the Department of Science and Technology and AID. The evaluation will review and report on project activities, as follows:

a. Progress of sub-projects in achieving project objectives.

b. Effectiveness of criteria and application of criteria in selecting sub-projects.

c. Administrative effectiveness of sub-project selection and procurement procedures, exchanges, etc.

d. Requirements for Grant funds.

e. New areas in which the Grant might be effectively used.

f. Any issues concerning project relationship to Indo/U.S. Joint Commission.

g. Specific implementation problems on either GOI or U.S. side.

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण परियोजना सं0 386 — 0465

परियोजना अनुदान करार

को

भारत के राष्ट्रपति

और

संयुक्त राज्य अमेरिका

के बीच

ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

के लिए

दिनांक 26 अगस्त, 1978 को निष्पन्न हुआ

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
अनुच्छेद 1 :	करार	1
अनुच्छेद 2 :	परियोजना	2
धारा 2.1	परियोजना की परिभाषा	2
अनुच्छेद 3 :	विमोचन	2
धारा 3.1	अनुदान	2
धारा 3.2	परियोजना के लिए अनुदानग्राही के साधन	3
धारा 3.3	परियोजना सहायता समाप्ति की तारीख	3
अनुच्छेद 4 :	संवितरण से पूर्वगामी शर्तें	4
धारा 4.1	प्रथम संवितरण	4
धारा 4.2	अधिसूचना	5
धारा 4.3	पूर्वगामी शर्तों के लिए समाप्ति की तारीखें	5
अनुच्छेद 5 :	विशेष प्रसंविदा	5
धारा 5.1	परियोजना का मूल्यांकन	5
अनुच्छेद 6:	प्राप्ति क्रीत	6
धारा 6.1	विदेशी मुद्रा लागत	6
अनुच्छेद 7 :	संवितरण	7
धारा 7.1	विदेशी मुद्रा लागत के लिए संवितरण	7
धारा 7.2	संवितरण के अन्य रूप	8
धारा 7.3	विनिमय की दरें	8
अनुच्छेद 8 :	विविध	8
धारा 8.1	पत्रादि	8
धारा 8.2	प्रतिनिधि	10
धारा 8.3	मानक उपबंधों का अनुबंध	10
धारा 8.4	करार की भाषा	10

अनुबंध	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अनुबंध 1	परियोजना का वर्णन	1 —5
अनुबंध 2	परियोजना अनुदान —मानक उपबंधों का अनुबंध	1
अनुच्छेद क. :	परियोजना कार्यान्वयन पत्र	1
अनुच्छेद ख. :	सामान्य प्रसंविदा	2
धारा ख. 1	परिभाषाएं	2
धारा ख. 2	परियोजना का निष्पादन	2
धारा ख. 3	वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग	3
धारा ख. 4	कराधान	3
धारा ख. 5	रिपोर्टें, अभिलेख, निरीक्षण, लेखापरीक्षा	4
धारा ख. 6	जानकारी की सम्पूर्णता	5
धारा ख. 7	अन्य अदायगियां	5
धारा ख. 8	सूचना और संचार	5
अनुच्छेद ग.	प्राप्ति उपबंध	6
धारा ग. 1	वित्तीय नियम	6
धारा ग. 2	पाऋण तारीख	6
धारा ग. 3	आयोजनाएं, विशिष्टियां और संविदा	7
धारा ग. 4	उचित कीमत	8
धारा ग. 5	संभावी पूर्तिकर्ताओं को अधिसूचना	8
धारा ग. 6	पोतपरिवहन	8
धारा ग. 7	बीमा	10
धारा ग. 8	संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के स्वामित्व वाली अतिरिक्त संपत्ति	11
अनुच्छेद घ.	समाप्ति: उपचार	12
धारा घ. 1	समाप्ति	12
धारा घ. 2	वापसियां	12
धारा घ. 3	उपचारों का अनन्यत्याग	14
धारा घ. 4	संसूचना	14

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण परियोजना संख्या
386-0465

परियोजना अनुदान करार

जो

भारत के राष्ट्रपति ("अनुदानग्राही")

और

अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ("ए० आई० डी०")
के माध्यम से कार्य करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका

के बीच

दिनांक 26 अगस्त, 1978 को निष्पन्न हुआ

अनुच्छेद 1 : करार

इस करार का प्रयोजन अनुदानग्राही द्वारा आगे वर्णित परियोजना का भार अपने ऊपर लिए जाने के संबंध में और उपर्युक्त पक्षों ("पक्षों") द्वारा परियोजना के विश्लेषण के संबंध में पक्षों में हुई सहमतियों को अभिव्यक्त करना है।

अनुच्छेद 2: परियोजना

धारा 2.1. परियोजना की परिभाषा : परियोजना में जिसका और वर्णन अनुबंध 1 में किया गया है, उन संस्थागत उप-परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, जिनमें भारत के ग्रामीण विकास के प्रयत्नों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किया जाएगा, व्यावसायिक और तकनीकी सेवाओं तथा उपस्कर और सामग्री का विसंयोजन शामिल है। संलग्न अनुबंध 1 में परियोजना की उपर्युक्त परिभाषा को प्रवर्धित किया गया है। परियोजना की उपर्युक्त परिभाषा की सीमाओं के अन्दर रहते हुए धारा 8.2 में वर्णित पक्षों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की लिखित सहमति से, अनुबंध 1 में उल्लिखित प्रवर्धित वर्णन के तत्वों में, इस करार में औपचारिक संशोधन किए बिना, परिवर्तन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 3 : विसंयोजन

धारा 3.1. अनुदान: परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में पूरा करने में अनुदानग्राही की सहायता करने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण 1961 के यथासंशोधित विदेशी सहायता अधिनियम का अनुसरण करते हुए, इस करार की शर्तों के अधीन अनुदानग्राही को अनुदान के रूप में अधिक से अधिक पाँच लाख संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर (20,00,000 डालर) (अनुदान) देने पर सहमत है। इस अनुदान का उपयोग केवल परियोजना के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की, धारा 6.1 में यथापरिभाषित विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

(ग) संवितरण के लिए अनुरोध परियोजना कार्यान्वयन पत्रों में निर्धारित आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा या धारा 7.1 में वर्णित किसी बैंक द्वारा परियोजना सहायता समाप्ति की तारीख के बाद अधिक से अधिक नौ (९) महीने तक अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा लिखित रूप में सम्मत अन्य किसी अवधि तक प्राप्त किए जाएंगे। ऐसी अवधि के बाद, अनुदानराशि को लिखित नोटिस देकर, अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण किसी भी समय अथवा किन्हीं भी समयों पर अनुदान की वह सारी राशि अथवा उसका कोई अंश घटा सकता है जिसके संवितरण के लिए अनुरोध, परियोजना कार्यान्वयन पत्रों में निर्धारित आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त न हुए हों।

अनुच्छेद 4: संवितरण से पूर्वगामी शर्तें

धारा 4.1. प्रथम संवितरण : इस अनुदान के अंतर्गत प्रथम संवितरण से पूर्व अथवा अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा उन दस्तावेजों के जारी किए जाने से पूर्व, जिसके अनुसरण में संवितरण किया जाएगा, अनुदानराशि अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को, अभिकरण द्वारा लिखित रूप में अन्यथा सम्मत हो जाने की स्थिति को छोड़ कर, निम्नलिखित कागज-पत्र अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के लिए संतोषप्रद रूप और भाव में प्रस्तुत करेगा:

(क) अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को स्वीकार्य काउन्सेल का मत जिसमें यह व्यक्त किया गया हो कि यह करार सम्यक रूप से अनुदानराशि द्वारा प्राधिकृत और/या अनुसमर्थित और उसकी ओर से निष्पादित किया गया है और यह करार उसकी सभी शर्तों के अनुसार अनुदानराशि का विधिमान्य और वैध रूप से आबद्धकर दायित्व है;

(ङ) धारा 8.2 में विनिर्दिष्ट अनुदानग्राही के कार्यालय के पदाधिकारियों अथवा वहां कार्य करने वाले व्यक्तियों के और अतिरिक्त प्रतिनिधियों के नामों का विवरण और उसके साथ ऐसे विवरण में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षर का नमूना;

(ग) भारत सरकार की एक अन्तर्विभागीय समिति की स्थापना का साध्य, उसकी संरचना और अनुबंध 1, परियोजना के वर्णन के पैराग्राफ 4 में बताए गए कार्यों को पूरा करने के लिए उसकी प्रक्रियाओं का एक विवरण।

धारा 4.2. अधिसूचना: जब अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को यह निश्चय हो जाएगा कि धारा 4.1 में विनिर्दिष्ट पूर्वगामी शर्तें पूरी हो गई हैं, तब वह तत्काल अनुदानग्राही को अधिसूचित कर देगा।

धारा 4.3. पूर्वगामी शर्तों के लिए समाप्ति की तारीखें: यदि धारा 4.1 में विनिर्दिष्ट सारी शर्तें इस करार की तारीख से या ऐसी किसी बाद की तारीख से, जिसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण लिखित रूप में सहमत हो जाए, 90 दिन के अंदर-अंदर पूरी न कर दी गई हों, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, अपने विकल्प के अनुसार अनुदानग्राही को लिखित नोटिस देकर, इस करार को समाप्त कर सकेगा।

अनुच्छेद 5: विशेष प्रसंविदा

धारा 5.1. परियोजना का मूल्यांकन: अनुदानग्राही, इस परियोजना के एक अंग के रूप में, एक मूल्यांकन कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए सहमत है जो कि दोनों पक्षों के लिए संतोषप्रद होगा। उस स्थिति को

छोड़ कर, जबकि दोनों पक्ष लिखित रूप में अन्यथा सहमत हों, इस कार्यक्रम में, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान और उसके पश्चात एक अवस्था में, यह कार्य शामिल होंगे;

(क) परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ख) समस्यामूलक क्षेत्रों या मजबूरियों का पता लगाना तथा उनका मूल्यांकन करना जो इन उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक सिद्ध हो सकती हैं;

(ग) इस बात का निर्धारण करना कि इस तरह की जानकारी को इन समस्याओं को हल करने के लिए किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है; और

(घ) जहां तक व्यवहार्य हो, वहां तक, परियोजना के कुल मिलाकर विकास संबंधी प्रभाव का मूल्यांकन करना।

अनुच्छेद 6 : प्राप्ति स्रोत

धारा 6.1. विदेशी मुद्रा लागत: उस स्थिति को छोड़कर जबकि अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण लिखित रूप में अन्यथा सहमत हो तथा उस स्थिति को भी छोड़ कर जिसकी व्यवस्था परियोजना अनुदान मानक उपबंधों के अनुबंध में समुद्री क्षेत्र के संबंध में धारा ग.1 (ख) में की गई है, धारा 7.1 के अनुसरण में संवितरित धनराशियों को केवल परियोजना के लिए आवश्यक उन वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत के वित्तपोषण के लिए ही उपयोग में लाया जा सकेगा, जिनका स्रोत तथा उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका हो (अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की भौगोलिक कूट पुस्तक के कूट 000 में, जैसाकि वह इन वस्तुओं अथवा सेवाओं का आदेश दिए जाने के समय अथवा इनके संबंध में संविदा

किए जाने के समय प्रवृत होगा) ("विदेशी मुद्रा लागत")।

अनुच्छेद 7 : संवितरण

धारा 7.1. विदेशी मुद्रा लागत के लिए संवितरण:

(क) पूर्वगामी शर्तों का पालन किए जाने के बाद, अनुदानगृहीता, परियोजना के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने के लिए अनुदान में से, इस करार की शर्तों के अनुसरण में धनराशियों का संवितरण ऐसे निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त कर सकता है जिनको परस्पर सहमति से तय किया गया हो;

(1) अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण को परियोजना कार्यान्वयन पत्रों में विहित आवश्यक समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ, (अ) ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध भेजकर; अथवा (आ) अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण को यह अनुरोध भेजकर कि वह परियोजना के लिए अनुदानगृहीता की ओर से वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्राप्त करे; अथवा,

(2) अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण को यह अनुरोध करके कि वह निर्दिष्ट राशियों के लिए (अ) अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण के लिए संतोषप्रद एक या एक से अधिक संयुक्त राज्य अमेरिकी बैंकों को वचनबद्धता-पत्र जारी करे, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण, ऐसे बैंक या बैंकों को उनके द्वारा संविदाकारों अथवा पूर्तिकर्ताओं को, इन वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए साक्षपत्रों के अंतर्गत अथवा अन्यथा की गई अदायगियों के संबंध में, प्रतिपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध हो जाए अथवा (आ) एक या एक से अधिक संविदाकारों अथवा पूर्तिकर्ताओं को सीधे वचनबद्धता-पत्र जारी करे जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण इस प्रकार के संविदाकारों अथवा पूर्तिकर्ताओं को इन वस्तुओं अथवा सेवाओं के संबंध में अदायगी करने के लिए वचनबद्ध हो जाए।

(स) अनुदानग्राही द्वारा वचनबद्धता-पत्रों और साखपत्रों के संबंध में दिए जाने वाले बैंक प्रभार, अनुदान के अंतर्गत विधिपोषित किए जाएंगे, जब तक कि अनुदानग्राही अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को इसके विपरीत अनुदेश न दें ।

धारा 7.2.संवितरण के अन्य रूप : इस अनुदान में से राशियों का संवितरण ऐसे अन्य माध्यमों से भी किया जा सकेगा, जिनके संबंध में दोनों पक्ष लिखित रूप में सहमत होंगे ।

धारा 7.3.विनिमय की दरें: यदि इस अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशियां अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण अथवा किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा इस करार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजन से भारत में लाई जाती हैं, तो अनुदानग्राही ऐसे आवश्यक प्रबन्ध करेगा जिससे इन धनराशियों को ऐसी उच्चतम विनिमय दर पर भारत की मुद्रा में संपरिवर्तित किया जा सके, जो उस समय जबकि संपरिवर्तन किया जाए, भारत में विधि-विरुद्ध न हो ।

अनुच्छेद 8: विविध

धारा 8.1. पत्रादि : इस करार के अंतर्गत दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को जो कोई नोटिस, अनुरोध, दस्तावेज अथवा अन्य पत्रादि भेजा जाएगा वह लिखित रूप में अथवा तार या केबुल के द्वारा भेजा जाएगा तथा उसको उसी समय उस पक्ष को सम्यक् रूप से दिया गया भेजा या समझा जाएगा, जब उसे उस पक्ष को निम्नलिखित पते पर सुपुर्द कर दिया जाएगा, अर्थात्:

अनुदानग्राही :

डाक का पता: सचिव, भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
नई दिल्ली

केबुल के लिए वैकल्पिक पता: इकोफेयर्स, नई दिल्ली

अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण:

डाक का पता: मिशन निदेशक, संयुक्त राज्य
अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय विकास
अभिकरण, अमेरिकी राजदूतावास
पश्चिमी पवन, नई दिल्ली

केबुल के लिए वैकल्पिक पता: यू० एस० ए० आई० डी०,
नई दिल्ली

जब तक दोनों पक्ष लिखित रूप में अन्यथा सहमत न हो जाएं, इस तरह के सभी पत्रादि अंग्रेजी भाषा में होंगे। नोटिस देकर उपर्युक्त पतों के बदले दूसरे पते भी रखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुदानग्राही अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को भेजे गए प्रत्येक पत्रादि की एक प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के मिशन को भेजेगा।

धारा 8.2. प्रतिनिधि: इस करार से संबंधित सभी प्रयोजनों के लिए, अनुदानग्राही का प्रतिनिधित्व आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक के पद को धारण करने वाले व्यक्ति अथवा उस पद का कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण का प्रतिनिधित्व मिशन निदेशक के पद को धारण करने वाले व्यक्ति अथवा उस पद का कार्य करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, और इनमें से प्रत्येक लिखित नोटिस देकर, अनुबंध 1 में दिए गए प्रविदेश दफ्तर के तत्वों को धारा 2.1 के अंतर्गत पुनरीक्षित करने के अधिकारों का प्रयोग किए जाने से भिन्न सभी अन्य प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त प्रतिनिधियों को भी नामित कर सकेगा। अनुदानग्राही के प्रतिनिधियों के नाम तथा उनके हस्ताक्षरों के नमूने, अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को भेजे जाएंगे, जो कि इस करार के कार्यान्वयन के सिलसिले में इस प्रकार के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी प्रलेख को सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रलेख के रूप में तब तक स्वीकार कर सकेगा जब तक कि उनके प्राधिकार के प्रतिसंहरण का लिखित नोटिस उसे प्राप्त नहीं होगा ।

धारा 8.3. मानक उपबंधों का अनुबंध: एक "परियोजना अनुदान उपबंधों का अनुबंध" (अनुबंध 2) करार से संलग्न है तथा इसका अंग है।

धारा 8.4. करार की भाषा: यह करार अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है। दोनों पाठों में परस्पर विरोध या अस्पष्टता होने की सूरत में, अंग्रेजी पाठ को अंतिम अर्थ-निर्णय के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

इसके साक्ष्य में, अनुदानग्राही तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने, अपने-अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए, इस करार को ऊपर मुद्रांकित दिन और वर्ष में अपने-अपने नाम में हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कराया है।

भारत के राष्ट्रपति

द्वारा [illegible]
(नवनीत सिंह)
सचिव, भारत सरकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

संयुक्त राज्य अमेरिका

द्वारा [signature]
(राबर्ट एफ. गोडीन)
राजदूत

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण परियोजना सं0 386-0465

अनुबंध 1

परियोजना का वर्णन

1. परियोजना का प्रयोजन, भारत के ग्रामीण विकास के प्रयास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग को बढ़ाना है। परियोजना के द्वारा उन अनुमोदित सहयोगात्मक कार्यकलापों (उप-परियोजनाओं) को समर्थन दिया जाएगा जो भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त आयोग तथा उसके उप-आयोगों द्वारा निर्धारित सामान्य परिमितियों और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत आएंगे और जो नीचे के पैराग्राफ 3 में वर्णित परियोजना मानदण्डों पर पूरे उतरेंगे।

2. इस अनुदान से, उप-परियोजनाओं की संयुक्त राज्य अमेरिकी हालतों में होने वाली लागत को उनके स्वीकृत बजटों के अनुसार वित्त-पोषित किया जाएगा। इस लागत में, उपस्कर तथा सामग्री (जिसमें प्रोटोटाइप हार्डवेयर शामिल हैं), व्यावसायिक तथा परामर्शदात्री सेवाओं, कर्मचारियों के पारस्परिक आदान-प्रदान तथा अध्ययन संबंधी दौरों, कार्यशालाओं के संचालन तथा अन्य अनुमोदित उप-परियोजनाओं की लागतें शामिल होंगी। उप-परियोजनाओं की स्थानीय लागत को भारतीय साधनों से अथवा सहयोग करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिकी अभिकरणों द्वारा पूरा किया जाएगा।

3. अनुदान के अन्तर्गत, सचयन के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए, सहयोग करने वाले अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित उप-परियोजनाओं को निम्नलिखित मानदण्डों पर पूरा उतरना होगा:

क. सम्बद्ध प्रौद्योगिकी अथवा कार्यकलाप, ग्रामीण क्षेत्रों की महत्वपूर्ण समस्याओं से सुसंगत हो और इस प्रकार की समस्याओं पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के (सामाजिक विज्ञान सहित) अनुप्रयोग से भी सम्बन्धित हो। सीमान्त तथा उपरते हुए क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान परिवार नहीं किया जा सकता। प्रौद्योगिकी तथा कार्यकलाप, उस सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ के लिए उपयुक्त होने चाहिएं जिसमें उनका अनुप्रयोग किया जाना है।

ख. जिस सीमा तक परिमाणात्मक व्यवस्थाएं हों, उस सीमा तक उप-परियोजनाओं से अनुकूल लागत/लाभ अनुपात प्रदर्शित होना चाहिए। इस प्रकार के परिकलन में, अप्रत्यक्ष (अथवा दूरस्थ) लाभों तथा लागतों के बजाए प्रत्यक्ष लाभों तथा लागतों पर बल दिया जाना चाहिए।

ग. उप-परियोजनाओं में लक्ष्योद्दिष्ट जनसंख्या को निकट अथवा मध्यम अवधि में लाभ पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए।

घ. उप-परियोजनाओं में सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों के प्रसारण, अंगीकरण अथवा क्षेत्र-परीक्षण के उपाय शामिल होंगे जिससे उनके व्यापक कार्यान्वयन अथवा उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों को सौंपने के संबंध में उनकी उपयुक्तता की जांच की जा सके।

ङ. उप-परियोजनाओं से ग्रामीण दलों की निर्धन जनता को आय और / अथवा मुहैया होने में युक्तियुक्त क्षमता अभिव्यक्त होनी चाहिए ।

4. सहयोग करने वाले अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित उप-परियोजनाओं को भारत सरकार की एक अन्तर्विभागीय समिति के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग करेगा, जो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय अभिकरण है, जांचा, चुना और अनुमोदित किया जाएगा । अनुमोदन के कार्यों में, समिति ऊपर दिए गए सम्मत मानदण्डों से और भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त आयोग तथा इसके उप-आयोगों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं से मार्गदर्शित होगी । समिति उप-परियोजनाओं का तकनीकी तथा तात्विक अनुमोदन करेगी ।

5. आर्थिक कार्य विभाग, उप-परियोजनाओं की कुल लागत के संबंध में, भारत सरकार की ओर से वित्तीयन संबंधी अनुमोदन प्रदान करेगा । अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण उप-परियोजनाओं के संबंध में दी जाने वाली अनुमतियों के प्रति इस बात की पुष्टि करते हुए लिखित रूप में सम्मति व्यक्त करेगा कि उप-परियोजनाएं, सुनिर्धारित मानदण्डों को पूरा करती हैं और अनुदान पर धारित की जाने वाली लागत इस करार की शर्तों के अन्तर्गत वित्तपोषण की पात्र है । इन प्रयोजनों के लिए, उप-परियोजना वर्णनों के अन्तर्गत एक विस्तृत सम्भाव्यिक वरणवद्ध बजट, स्थानीय मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के रूप में लागत के अलग अलग अनुमान, अनुदान पर धारित की जाने वाली संयुक्त राज्य अमेरिकी डालरों में होने वाली लागत तथा उप-परियोजना की वित्तीयन संबंधी अन्य आवश्यकताओं के स्रोतों आदि की जानकारी दी जाएगी ।

6. जब तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण अन्यथा सहमत न हो, प्रत्येक उप-परियोजना की 25 प्रतिशत लागत का विदेशी पोषण भारतीय साधनों से किया जाएगा।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग परियोजना के कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में, अन्तर्विभागीय समिति तथा वित्तीय कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित उप-परियोजनाओं के लिए व्ययों का प्राधिकार देने वाला प्राधिकृत प्रतिनिधि होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग परियोजना सचिवालय के रूप में भी कार्य करेगा और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

क. वार्षिक परियोजना मूल्यांकनों की व्यवस्था करेगा जैसाकि निम्नलिखित पैराग्राफ में वर्णित है।

ख. भाग लेने वाली संस्थाओं तथा वृत्तिकों के लिए भारत सरकार में केन्द्र-बिन्दु का कार्य करेगा।

ग. उप-परियोजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण करेगा।

घ. अनुदान संबंधी कार्यकलापों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के लिए मुख्य सम्पर्क अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

ङ. व्यय, प्राप्ति, प्रशिक्षण तथा विनिमय आदि का लेखा रखेगा।

च. संयुक्त आयोग और उप-आयोगों के लिए, कार्यकलाप संबंधी रिपोर्टें तैयार करेगा।

छ. उप-परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यकलापों को शीघ्र निपटाने के लिए, आवश्यकतानुसार, भाग लेने वाली संस्थाओं तथा वृत्तिकों को सहायता देगा।

६. इस परियोजना का मूल्यांकन हर वर्ष संयुक्त रूप से यदि संभव हुआ तो भारत-संयुक्त राज्य अमेरिकी संयुक्त आयोग की वार्षिक बैठक से थोड़ा पहले किया जाएगा। इस मूल्यांकन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण तथा अमेरिकी राजदूतावास के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कार्य संबंधी कौंसलर भाग लेंगे। इस कार्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की पारस्परिक सहमति से अन्य अभिकरणों अथवा व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकेगा। मूल्यांकन में परियोजना संबंधी कार्यकलापों की समीक्षा और रिपोर्ट इस प्रकार तैयार की जाएगी :-

क. परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में उप-परियोजनाओं की प्रगति।

ख. मानदंडों की प्रभावोत्पादकता तथा उप-परियोजनाओं के चयन में मानदण्डों का अनुप्रयोग।

ग. उप-परियोजनाओं के चयन तथा प्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं, विनिमय आदि की प्रशासनिक प्रभावोत्पादकता।

घ. अनुदान धनराशियों की आवश्यकताएं।

ङ. नए क्षेत्र, जिनमें अनुदान को प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग में लाया जा सके।

च. भारत / संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त आयोग से परियोजनागत संबंधों के बारे में कोई भी मामले।

छ. भारत सरकार अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर उपस्थित होने वाली कार्यान्वयन संबंधी विनिर्दिष्ट समस्याएं।

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE : 1980 O—55-426